रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263739
CG-DL-E-12062025-263739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2485] नई दिल्ली, बुधवार, जून 11, 2025/ज्येष्ठ 21, 1947
No. 2485] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 11, 2025/JYAISTHA 21, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2025

का.आ. 2547(अ).– यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने तमिलनाडु राज्य के ग्राम गंगाईकोंडान, तालुक तिरूनेलवेली, जिला तिरूनेलवेली में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्रों सं. का.आ.1425(अ) दिनांक 08 जून, 2009, का.आ.2838(अ) दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 एवं का.आ.4185(अ) दिनांक 08 सितमबर, 2022 के तहत् उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 40.48 हेक्टेयर, 76.893 हेक्टेयर एवं 36.4920 के क्षेत्रों को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ तमिलनाडु लिमिटेड ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 2.3997 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिलनाडु सरकार ने उनके पत्र सं. 8798753/एमआईबी.1/2024-2 दिनांक 5 दिसम्बर, 2024 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है| इसके अलावा, कथित अनधिसूचित भूमि पार्सल का उपयोग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण के लिए किया जाना है;

और यतः, विकास आयुक्त, मेप्ज़ विशेष आर्थिक जोन ने विशेष आर्थिक जोन के 2.3997 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य सम्बंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में एतद्द्वारा 2.3997 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणत: कुल क्षेत्र 78.4813 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचित क्षेत्र हेतु नीचे तालिका में दिए गए सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल है, अर्थात:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्रम. सं.	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में
	गंगाईकोंडान	1709/1 भाग	0.1011
		1710/1 भाग	2.2986
कुल			**2.3997**
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			**78.4813**

[फा. सं. एफ.1/54/2007-एसईजेड]
विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2025

S.O. 2547(E).—Whereas, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Village Gangaikondan, Taluka Tirunelveli, District Triunelveli, in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 40.48 hectares and subsequently, an area of 76.893 hectares and de-notify 36.4920 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notifications Number S.O. 1425(E) dated 08th June, 2009, S.O. 2838(E) dated 20th December, 2011, and S.O.4185(E) dated 8th September, 2022;

AND, WHEREAS, M/s. Electronics Corporation of Tamil Nadu Limited has now proposed for de-notification of 2.3997 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given its approval to the proposal vide letter No. 8798753/MIB.1/2024-2 dated 5th December, 2024. Further, the said land parcel identified for partial de-notification is to utilised towards creation of infrastructure projects;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 2.3997 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 2.3997 hectares, thereby making resultant area of the Special Economic Zone as 78.4813 hectares. The Survey numbers and the area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total area in Hectares
1.	Gangaikondan	1709/1 pt	0.1011
2.		1710/1 pt	2.2986
Total			**2.3997**
Grand Total Area of SEZ after above deletion			**78.4813**

[F. No. F. 1/54/2007-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.06.12 13:50:07 +05'30'